

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

अधीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 171/2025

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए. एव 136 एलआरएक्ट

श्री सिंह पुत्र पोलासिंह जाति जटसिख निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. हरपालकौर पत्नी हजारा सिंह जाति जटसिख नि.5 बी.आर.पी. पीलीबंगा तह.संगरिया।
2. जगवीर सिंह पुत्री हजारासिंह जाति जटसिख नि. 5 बी.आर.पी. पीलीबंगा तह.पीलीबंगा।
3. वीरपाल कौर पुत्री हजारासिंह पत्नी मंदर सिंह जाति जटसिख नि.नारायणपुरा तह.अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
4. स्वर्णपाल कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नी कृष्ण सिंह जाति जटसिख नि.नारायणपुरा तह.अबोहर जिला फाजिल्का
5. हरप्रीत कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नी हरचरण सिंह उर्फ लीला सिंह जाति जटसिख निवासी गंगा गोरीवाला तह.डबवाली जिला सिरसां
6. बलकरण कौर पुत्री हजारासिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गंगा गोरीवाला तह. डबवाली जिला सिरसा।
7. राजवीर कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नी गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
8. जगविन्द्र कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नी तरसेम सिंह जाति जटसिख नि.जोड़किया तह.व जिला हनुमानगढ।
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 30.01.2026


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे वहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ..... वकील प्रतिवादी मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुबम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 11 केएसडी.

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नाजर सिंह पुत्र पोला सिंह जाति जटसिख सा.कुरेशिया तह.करणपुर की कब्जा काश्त भूमि:-  
प.न. 128/109 मु.न. 42 किला नं. 15, 16/0.253 है.प्र. 25/1/0.013 है. 25/2/0.038 है.  
गै.मु.रास्ता

हरपाल कौर पत्नी हजारासिंह, जगवीर सिंह पुत्र हजारासिंह, वीरपालकौर, स्वर्णपालकौर, हरप्रीत  
कौर, बलकरणकौर, राजवीरकौश्र, जगविन्द्र कौर पुत्रीयां हजारासिंह वहिव जाति जटसिख सा.5  
बीआरपी तह.पीलीबंगा की कब्जा काश्त भूमि प.न. 129/109 मु.न. 43 किला नं. 12/2/0.051  
है. 19/1/0.202 है. 19/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर  
दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो  
उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बावत यदि किसी  
न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर  
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया  
के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4628 दिनांक 27.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के  
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2026 को खुले न्यायालय  
में जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया